न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम–4, जयपुर महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार कड़वासरा *'आर0जे0एस0'*
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या– 120 / 2019 सी0आई0एस0 नम्बर– Civil Suit/564 / 2019

CNR-NO-RJJT1A-001203-2019

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एसएमईसी, एसपी–1 जरिये प्रबंधक (सार्क) श्री रमेश चन्द, रोड़ नं.–1, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर रोड़, जयपुर (राज.) – वादी बैंक

– ब ना म –

1– मैसर्स गणपति ब्लो प्लास्ट प्रोपराईट श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी 10–11, प्रिया नगर फर्स्ट, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, सरना डूंगर, जयपुर (राज.)

2– श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जरिये प्रोपराईटर मैसर्स गणपति ब्लो प्लास्ट, निवासी 10–11, प्रिया नगर फर्स्ट, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, सरना डूंगर, जयपुर (राज.)
अन्य पता– प्लाट नं.– बी–189ए, गंगा जमना कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 सीपीसी बाबत वसूली राशि

उपस्थित :–

1– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, श्री सुरेन्द्र शर्मा एवं श्री शंकर शर्मा विद्वान अधिवक्तागण वादी बैंक की ओर।

2– प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं (एकपक्षीय कार्यवाही)।

न्यायालय द्वारा– –निर्णय– दिनांक – 19.09.2024

1– इस निर्णय द्वारा वादी बैंक की ओर से दिनांक 13.03.2019 को प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत वसूली राशि का निर्णय किया जा रहा है।

2– मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रतिवादी फर्म मैसर्स गणपति ब्लो प्लास्ट एक प्रोपराईटरशिप फर्म है एवं प्रतिवादी संख्या 2 नरेन्द्र सिंह जरिये प्रोपराईटर अपने प्रतिष्ठान मैसर्स गणपति ब्लो प्लास्ट के नाम से प्लास्टिक बोतल मेन्यूफैक्चरिंग का व्यापार करता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी बैंक की शाखा में उपस्थित होकर अपने व्यवसाय हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने बाबत् आवेदन किया। वादी बैंक द्वारा उक्त आवेदन पर विचार कर दिनांक 21.10.2016 को 7,00,000 / – रूपये की ऋण सुविधा स्वीकृत की गई एवं प्रतिवादीगण द्वारा ऋण से संबंधित समस्त दस्तावेजात वादी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये गये। कालान्तर में

प्रतिवादीगण द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात् अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में डिफाल्ट कारित किया। वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 16.11.2018 को जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस प्रेषित किया। प्रतिवादीगण द्वारा ब्याज व किश्तों की राशि अदा न करने के कारण प्रतिवादीगण का ऋण खाता अलाभकारी वित्तीय आस्ति (NPA) में वर्गीकृत हो गया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी ने दिनांक 28.12.2018 को प्रतिवादीगण के ऋण सुविधा खाता में रूपये 8,18,721/– रूपये बकाया होना एवं वादी का वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत होना बताया है। अंत में विद्वान वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण से 8,18,721/– रूपये तथा दावा दायरी की दिनांक से तायोम वसूली 13.20 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3– वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को न्यायालय से समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध समन की प्रतिस्थापित तामील पर्याप्त मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

4– वादी पक्ष के उक्त अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गए:–

1– आया वादी बैंक प्रतिवादीगण से हुए वाणिज्यिक संव्यवहार के आधार पर प्रतिवादीगण से 8,18,721/– रूपये (अक्षरे आठ लाख अठारह हजार सात सौ इक्कीस रूपये) व इस राशि पर दावा दायरी की दिनांक 13.03.2019 से तायोम वसूली 13.20 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है? ––वादी

2– आया वादी वाद व्यय एवं मेहनताना वकील प्राप्त करने का अधिकारी है? ––वादी

3– अनुतोष ?

5– वादी द्वारा अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि गवाह **पी0 डब्ल्यू0 1 रमेश कुमार, मुख्य प्रबंधक** की शपथ पत्र पर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 ऋण आवेदन पत्र दिनांकित 01.11.2016, प्रदर्श–2 ऋण स्वीकृति पत्र, प्रदर्श–3 लेटर ऑफ अरेंजमेंट मय एनेग्जर ए व बी, प्रदर्श–4 ऋण अनुबंध दिनांकित 21.10.2016, प्रदर्श–5 शपथ पत्र, प्रदर्श–6 सहमति खण्ड दिनांकित 21.10.2016, प्रदर्श–7 ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र

दिनांकित 21.10.2016, प्रदर्श–8 ऋण खाता स्टेटमेंट, प्रदर्श–9 विधिक नोटिस, प्रदर्श–10 पोस्टल रसीद को प्रदर्शित करवा अपनी शहादत समाप्त की।

6– विद्वान अभिभाषक वादी की बहस एक पक्षीय रूप से सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक वादी का कहना है कि वादी की ओर से न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किये गये है उसे वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य से स्पष्टतः प्रमाणित किया है। वादी की साक्ष्य को अभिखण्डित करने के लिए प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये हैं एवं पेश दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य पर संदेह करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है एवं यह अखण्डित है। अंत में उन्होंने वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

7– इस न्यायालय के समक्ष वादी के मामले को निस्तारित करने के लिए न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यकों के संदर्भ में सकारण निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार है–

<u>विवाद्यक बिन्दु संख्या</u> – 1 व 2–

8– प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद में एकपक्षीय कार्यवाही है। सुविधा की दृष्टि से विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक बिन्दू संख्या 1 के सम्बन्ध में वादी को यह प्रमाणित करना है कि आया वादी बैंक प्रतिवादीगण से हुए वाणिज्यिक संव्यवहार के आधार पर प्रतिवादीगण से 8,18,721/– रूपये (अक्षरे आठ लाख अठारह हजार सात सौ इक्कीस रूपये) व इस राशि पर दावा दायरी की दिनांक 13.03.2019 से तायोम वसूली 13.20 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है? इस संबंध में पत्रावली का अनुशीलन व अवलोकन किया जाये तो वादी ने अपने वाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण को ऋण सुविधा स्वीकृत करने के एवज में प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक के पक्ष में दस्तावेजात निष्पादित करने के उपरान्त दिनांक 21.10.2016 को वादी बैंक द्व ारा प्रतिवादीगण को 7,00,000/– रूपये की केश क्रेडिट ऋण सुविधा प्रदान की गई तथा कालान्तर में प्रतिवादीगण द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं करने व किश्तों की अदायगी में डिफाल्ट कारित करने पर वादी द्वारा दिनांक 16.11.2018 को जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस प्रेषित किया गया। वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में **पी0 डब्ल्यू0 1 रमेश कुमार, मुख्य प्रबंधक** ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 20 को प्रदर्शित करवाया एवं अपनी मौखिक बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है एवं साक्ष्य शपथ पत्र व प्रदर्श–9 विधिक नोटिस में यह भी अंकित किया कि वादी बैंक के समक्ष प्रतिवादीगण का खाता दिनांक 21.05.2017 को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) की श्रेणी में सम्मिलित हो गया। वादी बैंक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन हेतु प्रतिवादीगण ना स्वयं न्यायालय में उपस्थित

आये है एवं ना ही कोई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। वादी बैंक की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 ऋण स्वीकृति पत्र दिनांकित 21.10.2016 के अवलोकन से जाहिर आता है कि वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 7,00,000 / – रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की गई।

9– वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र का अनुशीलन किया जाये तो वाद पत्र के पैरा संख्या 11 के अनुसार दिनांक 28.12.2018 तक वादी बैंक के प्रतिवादीगण की ओर से बकाया पेटे ऋण सुविधा खाते में 8,18,721 / – रूपये बकाया होना जाहिर है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मास्टर सर्कुलर क्रमांक DBOD No. BP.BC/ 20 / 21.04.048 /2001-2002 दिनांक September 1, 2001 जो कि Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning -Pertaining to Advances बाबत है एवं जो सभी वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकारी प्रमुखों को संबोधित है, में उल्लेखित किया गया है कि बैंकों को किसी भी एनपीए पर ब्याज नहीं लेना चाहिए और उसे आय खाते में नहीं लेना चाहिए। यह प्रधान परिपत्र Reserve Bank Of India Department of Banking Operations & Development, Central Office Mumbai का है एवं इस परिपत्र की रूह से इसकी प्रभाविता समस्त वाणिज्यिक बैंकों पर होना जाहिर है। सादृश्ता के नियमानुसार वादी बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के परिपत्रों के अधीन रहते हुए अपनी वाणिज्यिक गतिविधियॉ संचालित करते है। इसके विपरीत कोई तथ्य अथवा मत पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

10– हस्तगत पत्रावली में वादी अपने अभिवचनों में यह तथ्य अंकित कर आया है कि दिनांक 21.05.2017 को प्रतिवादीगण का खाता अलाभकारी आस्ति (एनपीए) हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रधान परिपत्र पर विचारोपरान्त वादी प्रतिवादीगण के बैंक खाते के अलाभकारी आस्ति (एनपीए) में तब्दील होने के उपरान्त खाते के एनपीए होने की दिनांक से वादी के न्यायालय में वाद दायर करने की तिथि तक वादी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण का ऋण खाता दिनांक 21.05. 2017 को एन.पी.ए. हुआ हो इस बाबत् बैंक के सक्षम प्राधिकारी का सकारण निष्कर्षण अथवा कार्यालय लेख पृथक से पत्रावली पर मौजूद नहीं है चूंकि वादी बैंक के प्रतिनिधि गवाह पी.ड.1 रमेश कुमार ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण का खाता दिनांक 21.05.2017 को एन.पी.ए. हुआ है व प्रदर्श–9 विधिक नोटिस में भी इस तथ्य का अंकन है कि प्रतिवादीगण का ऋण खाता दिनांक 21.05.2017 को एन.पी.ए. / अनियमित हो गया। पत्रावली पर वादी बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादीगण के ऋण खाता स्टेटमेंट दिनांकित 10.01.2019 का अवलोकन किया जाये तो प्रतिवादी फर्म मैसर्स गणपति ब्लो प्लास्ट के ऋण खाता संख्या 61333711490 में ऋण खाता के एनपीए होने की दिनांक 21.05.2017 से पूर्व दिनांक

30.04.2017 की विशिष्ठियों के अनुसार उक्त दिनांक को ऋण खाते का बकाया शेष 7,19,736 / – रूपये है। अतः प्रतिवादीगण के ऋण खाता दिनांक 21.05.2017 को अलाभकारी आस्ति में आने की दिनांक से पूर्व दिनांक 30.04.2017 को संव्यवहार वाली विशिष्ठि तक ऋण खाते की कुल अंतिम ऋण देयता धन राशि 7,19,736 / – रूपये होती है, जिसे न्यायहित में वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

11– जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की दशा में दावाकृत राशि पर ब्याज प्राप्त करने का प्रश्न है, उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रधान परिपत्र की रोशनी में इस न्यायालय के विनम्र मत में वादी बैंक प्रतिवादीगण के खाते के अलाभकारी आस्ति (एनपीए) होने की दिनांक के पश्चात् 7,19,736 / – रूपये की धनराशि पर इस निमित्त कोई ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी विधिनुसार नहीं है।

12– विवाद्यक बिन्दू संख्या 2 के संबंध में वादी को यह प्रमाणित करना है कि आया वादी वाद व्यय एवं मेहनताना वकील प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में वादी बैंक प्रतिवादीगण से वाद व्यय एवं वकील के मेहनताने का प्रमाण पत्र पेश करने पर अधिवक्ता शुल्क भी विधिनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः एकपक्षीय अखण्डित साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक बिन्दू संख्या 1 वादी के पक्ष में अंशतः व विवाद्यक बिन्दू संख्या 2 पूर्णतः निर्णित किया जाता है।

13– पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी बैंक की ओर से बकाया ऋण राशि की वसूली बाबत् न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.03.2019 को हस्तगत वाद प्रस्तुत कर दिया गया था, जो संबंधित लिपिक द्वारा की गई रिपोर्ट एवं वादी द्वारा वादपत्र में बताई गई दिनांकों को उत्पन्न हुए वाद हेतुक के संबंध में विहित परिसीमा अवधि के मध्य एवं उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अनुसार बैंकिंग संव्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ विवाद वाणिज्यिक विवाद की कोटि में आता है। हाजा प्रकरण में वादी बैंक प्रतिवादीगण से बकाया ऋण राशि रूपये प्राप्त करने का अधिकारी न हो इस बात का कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने के कारण वादी के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। वादी के अभिवचन तथा एकपक्षीय साक्ष्य वाद में चाहे गये अनुतोष के निमित्त न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद रूप से अखण्डनीय रही है। उपर्युक्त विवेचित परिस्थितियों के अनुसार वादी बैंक प्रतिवादीगण से वांछित अनुतोष के निमित्त 7,19,736 / – रूपये तक की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

बिन्दु संख्या – 3 अनुतोष

14– चूंकि पत्रावली पर विद्यमान वादी की एकपक्षीय मौखिक व दस्तावेजी अखण्डनीय साक्ष्य प्रमाणों के प्रकाश में विवाद्यक बिन्दू संख्या–1 वादी के पक्ष में अंशतः एवं विवाद्यक संख्या–2 पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 नरेन्द्र सिंह की हैसियत प्रतिवादी संख्या 1 मैसर्स गणपति ब्लो प्लास्ट के प्रोपराईटर की है। किसी प्रवृत्त विधि के अन्यथा उपबंधित के सिवाय एवं किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निमित्त लिये गये अनुबंधित ऋण हेतु उसके प्रोपरोईटर का दायित्व असीमित एवं समविस्तीर्ण होता है। वादी प्रतिवादीगण से वाद व्यय एवं वकील के मेहनताने का प्रमाण पत्र पेश करने पर अधिवक्ता शुल्क भी विधिनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः पत्रावली की सामग्री व न्यायहित पर समग्र रूप से विचारोपरान्त वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से, एकपक्षीय रूप से संयुक्ततः व पृथक्कतः मय खर्चा स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से डिक्री किये जाने योग्य है।

–आदेश–

15– परिणामतः वाद वादी बैंक विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् वसूली राशि एकपक्षीय रूप से संयुक्ततः व पृथक्कतः मय खर्चा स्वीकार किया जाकर निम्नलिखितानुसार डिक्री किया जाता है कि–

1– वादी बैंक प्रतिवादीगण से 7,19,736/– रूपये (अक्षरे सात लाख उन्नीस हजार सात सौ छत्तीस रूपये) प्राप्त करने का अधिकारी है।

2– वादी वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

3– उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

AMIT KUMAR KARWASRA
Digitally signed by AMIT KUMAR KARWASRA
Date: 2024.09.25 13:38:16 +0530

(अमित कुमार कड़वासरा)
न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय,
क्रम सं.–4, जयपुर महानगर–द्वितीय।

16– यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

AMIT KUMAR KARWASRA
Digitally signed by AMIT KUMAR KARWASRA
Date: 2024.09.25 13:38:23 +0530

(अमित कुमार कड़वासरा)
न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय,
क्रम सं.–4, जयपुर महानगर–द्वितीय।